भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2599
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन

2599. सुश्री इकरा चौधरीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) उप-मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित, स्वीकृत और संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है और विगत पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार उपयोग की दर क्या रही है;

(ख) एनएलएम हस्तक्षेपों से सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले छोटे और सीमांत पशुपालकों, विशेषकर महिलाओं, की राज्य-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त राज्यों में नस्ल उत्पादकता, चारे की उपलब्धता और विविध आय स्रोतों में सुधार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण कमियों, जैसे अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएँ, गुणवत्तापूर्ण चारे और आहार की कमी, समय पर विस्तार सहायता का अभाव और छोटे किसानों को योजना के लाभों और ऋण लिंकेज तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के तीन उप-मिशनों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित, संस्वीकृत और संवितरित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित	संस्वीकृत	संवितरित
2020-21	0	0	0
2021-22	0	0	0
2022-23	300	0	0
2023-24	200	100	100
2024-25	771	671	671

राज्य सरकार ने संस्वीकृत राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया है।

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के एक उप-मिशन के रूप में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें समावेशी उद्यमिता पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसमें पशुधन क्षेत्र में महिला उद्यमियों को विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पात्र संस्थाओं के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर फार्म के साथ-साथ पशु आहार एवं चारा इकाइयों की स्थापना जैसे उद्यमिता घटकों को सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत, महिला लाभार्थियों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए, छोटे और सीमांत किसानों को समावेशी सहायता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। संकलित आँकड़ों के अनुसार:

- 61 जिलों में कुल 220 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है, जिसमें 111.22 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत, 42.33 करोड़ रुपए की ऋण राशि और 47.29 करोड़ रुपए की अनुमोदित सब्सिडी शामिल है।
- कुल लाभार्थियों में से, 43 महिला उद्यमी हैं और 177 पुरुष उद्यमी हैं, जो पशुधन आधारित उद्यमिता में महिलाओं को शामिल करने के लिए बढ़ते और केंद्रित प्रयास को दर्शाता है।
- इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कुल 11.72 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई, जिसमें 87 परियोजनाओं को पहली किस्त के रूप में 10.23 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं और 9 परियोजनाओं को दूसरी किस्त के रूप में 1.49 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

एनएलएम कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले छोटे और सीमांत पशुपालकों, विशेषकर महिलाओं की राज्य-वार और जिला-वार संख्या अनुबंध I और II में दी गई है।

(ग) देश भर में गुणवत्तापूर्ण चारे की कमी को दूर करने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार **केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)** के जरिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान कर रहा है। वर्ष 2014-15 में इसकी शुरुआत के बाद से, इस योजना में **पशु आहार और चारा विकास** संबंधी एक डेडिकेटिड **उप-मिशन** को शामिल किया गया है। इस मिशन के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए इसे जुलाई 2021 और फिर मार्च 2024 में पुनर्गठित किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख घटकों पर फोकस किया गया:

1. **गुणवत्तापूर्ण चारा बीजों के उत्पादन के लिए सहायता:**
   उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है - प्रजनक बीजों के लिए 250 रुपए/किग्रा, आधार बीजों के लिए 150 रुपए/किग्रा, और प्रमाणित बीजों के लिए 100 रुपए/किग्रा।
2. **पशु आहार और चारे में उद्यमिता कार्यकलाप**:
   घास (हे), साइलेज, कुल मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और भंडारण सुविधाओं से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को **50% पूंजीगत सब्सिडी** मिलती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 50 लाख रुपए है।
3. **बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग अवसंरचना की स्थापना:**
   बीज प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए इसी प्रकार की उद्यमिता सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें परियोजना लागत की **50% सब्सिडी** दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 50 लाख रुपए है।
4. **अवक्रमित गैर-वन भूमि से चारा उत्पादन:**
   यह योजना गैर-कृषि योग्य भूमि, चरागाह भूमि, घास के मैदान और अवक्रमित भूमि पर चारे की खेती को बढ़ावा देती है।
5. **वन भूमि से चारा उत्पादन:**
   संबंधित वन विभागों के समन्वय से, चारा उत्पादन की पहलों को वन क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 से संचालित **केंद्रीय क्षेत्र की योजना - पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)** के तहत, सरकार पशु चारा संयंत्र स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), धारा 8 की कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।

वर्ष 2021-22 से, एनएलएम के **गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन घटक** के अंतर्गत लगभग **1.39 लाख टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज** का उत्पादन किया गया है। **779.19 करोड़ रुपए** के निवेश से **27.80 लाख हेक्टेयर** में चारे की खेती में सहायता मिली है, जिससे **1529 लाख मीट्रिक टन (MT)** पौष्टिक हरे चारे का उत्पादन हुआ है।
एनएलएम के **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP)** के अंतर्गत, **129 साइलेज और टीएमआर संयंत्रों** को अनुमोदन दिया गया है। इनमें से **68 परियोजनाओं** को कुल **17.23 करोड़ रुपए** की सब्सिडी मिल चुकी है, जिससे **प्रतिवर्ष 4.69 लाख मीट्रिक टन साइलेज का उत्पादन** संभव होगा।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए दूध उत्पादकता को बढ़ाना
दिसंबर 2014 में शुरू किए गए **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)** का उद्देश्य देशी गोपशु नस्लों का विकास और संरक्षण, आनुवंशिक रूप से बोवाइन आबादी का उन्नयन और दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है - जिससे डेयरी फार्मिंग किसानों के लिए अधिक लाभदायक बन सके। पिछले दशक में इसके मापनीय प्रभावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पशु उत्पादकता वृद्धि**:
  वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 के बीच, सभी बोवाइन श्रेणियों— डिस्क्रिप्ट और नॉन-डिस्क्रिप्ट गोपशु, संकर गोपशु और भैंस की उत्पादकता में **27% की वृद्धि** हुई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। विशेष रूप से, देशी और डिस्क्रिप्ट गोपशुओं की उत्पादकता वर्ष 2014-15 के **927 किलोग्राम/पशु/वर्ष** से **35.38%** बढ़कर वर्ष 2022-23 में **1255 किलोग्राम/पशु/वर्ष** हो गई। इसी अवधि के दौरान भैंस की उत्पादकता **17.6%** बढ़कर **1880 किलोग्राम/पशु/वर्ष से 2211 किलोग्राम/पशु/वर्ष** हो गई।
- **दुधारू पशुओं में बढ़ोतरी**:
  दुधारू पशुओं की संख्या **वर्ष 2014-15 में 85.66 मिलियन** से बढ़कर **वर्ष 2022-23 में 107.24 मिलियन** हो गई, जो **25.19%** की वृद्धि है। इनमें से, दुधारू देशी गोपशुओं की संख्या में **17.9%** की वृद्धि हुई, हालाँकि वर्ष 2012 और वर्ष 2019 की पशुधन संगणना के बीच कुल बोवाइन आबादी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया।
- **अनुत्पादक पशुओं का उत्पादक पशुओं में रूपांतरण**:
  मिशन ने पहले के अनुत्पादक पशुओं को सफलतापूर्वक उत्पादक पशुओं में परिवर्तित किया। देशी गोपशु से दूध उत्पादन **वर्ष 2014-15 के 29.48 मिलियन टन** से **57.90% बढ़कर वर्ष 2019-20 में 46.65 मिलियन टन** हो गया। इसी अवधि में भैंस के दूध का उत्पादन **38.27% बढ़कर 74.70 मिलियन टन से 103.29 मिलियन टन** हो गया।

- **विश्व में अग्रणी उत्पादकता वृद्धि**:
  पिछले 10 वर्षों के दौरान, **गोपशु और भैंसों** की **औसत उत्पादकता में 27% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 में 1640 किलोग्राम/पशु/वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2072 किलोग्राम हो गई है, जो 13% की वैश्विक औसत वृद्धि से अधिक है।**

राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के समन्वित कार्यान्वयन के जरिए, भारत सरकार एक मजबूत, आत्मनिर्भर पशुधन क्षेत्र का निरंतर निर्माण कर रही है, जिससे पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका का विकास और देश भर के किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित हो रही है।

(घ) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अंतर्गत विभाग ने जमीनी स्तर पर प्रभावी पशुधन विकास में बाधा डालने वाली कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जो इस प्रकार है:

i. राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) में साइलेज, टीएमआर, चारा ब्लॉक इकाइयों की स्थापना और बीज ग्रेडिंग के लिए अवसंरचना स्थापित करने संबंधी डेडिकेटिड घटक शामिल हैं। ये पहलें पूरे वर्ष पौष्टिक, उच्च उपज देने वाले और संरक्षित चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिससे मौसमी हरे चारे पर निर्भरता कम होती है और विशेष रूप से कम उत्पादन अवधि के दौरान चारे की कमी को दूर किया जा सकता है।
ii. छोटे किसानों को ऋण और योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को समझते हुए, सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संस्थागत संबंधों को मज़बूत करने के लिए लक्षित उपाय किए हैं। केंद्रीय स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (CLBCC) के गठन और बैंकों के साथ राज्य-वार नियमित समीक्षा बैठकों से ऋण संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिली है। इसके अलावा, नोडल अधिकारियों की तैनाती से ऋण अनुमोदन और संवितरण में तेज़ी लाने में मदद मिली है।
iii. इसके अलावा, एनएलएम पोर्टल (nlm.udyamimitra) को डिजिटल रूप से स्वचालित किया गया है, जिससे आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और प्रमुख उपलब्धियों पर अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
iv. प्रगति की निगरानी, पारदर्शिता में सुधार और समय पर निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय आधारित डैशबोर्ड का उपयोग किया जाता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तीन घटक हैं, नामत: खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण हेतु राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP); क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) और पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) हेतु टीकाकरण के लिए गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP) उप-घटक सहित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH&DC), पशु चिकित्सा अस्पताल और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ESVHD-MVU) तथा राज्य की प्राथमिकता वाली बीमारी जैसे लम्पी स्किन डिजीज (LSD), रेबीज आदि के लिए टीकाकरण, प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, प्रशिक्षण और पशु हत्या मुआवजा आदि के लिए राज्य को पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता (ASCAD); जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की बिक्री के लिए पीएम-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के जरिए एलएचडीसीपी योजना में नया घटक पशु औषधि को जोड़ा गया है। ईएसवीएचडी-एमवीयू के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वार तक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 520 एमवीयू कार्यरत हैं, जिसके परिणामस्वरूप पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी को पूरा किया जा रहा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, देशी बोवाइन नस्लों को विकसित करने और संरक्षित करने तथा नस्ल उत्पादकता में सुधार करने के लिए कई कार्यनीतिक पहलें की गई हैं। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम ने 9.16 करोड़ से अधिक पशुओं को कवर किया है, जिसमें 14.12 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 5.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। 90% तक बछिया पैदा करने में सक्षम सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग एक परिवर्तनकारी कारक रहा है, जो आवारा गोपशु को कम करते हुए दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। भारत ने देशी रूप से भी इस तकनीक को विकसित किया है, जिससे लागत 800 रुपए से घटकर 250 रुपए प्रति खुराक हो गई है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक सेक्स-सॉर्टेड सीमन खुराक का उत्पादन किया जा चुका है। इसके अलावा, 38,000 से अधिक प्रशिक्षित मैत्री अब किसानों के द्वार तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा संतति परीक्षण एवं नस्ल चयन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देशी नस्लों के 4,200 से अधिक उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का उत्पादन हुआ है।

नस्ल सुधार में और तेज़ी लाने के लिए, विभाग ने देश भर में 23 आईवीएफ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं, जिनसे लगभग 27,000 व्यवहार्य भ्रूण तैयार हुए हैं और परिणामस्वरूप 2,300 से ज़्यादा बछड़ों-बछियों का जन्म हुआ है। आईवीएफ और सेक्स-सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए एक केंद्रित त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, सुनिश्चित गर्भधारण के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। देशी आईवीएफ कल्चर मीडिया भी शुरू किया गया है, जिससे भ्रूण उत्पादन लागत 5,000 रुपए से घटकर 2,000 रुपए हो गई है। इसके अतिरिक्त, 47 सीमन केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है, और किसानों के बीच देशी नस्लों के मूल्य और महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन शिविर, बछड़ा-बछियां रैलियाँ और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे विभिन्न जागरूकता और आउटरीच कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं।

*****

अनुबंध-I

राज्य	महिला	पुरुष	कुल अनुमोदित आवेदन	सृजित रोजगार	कुल प्रभावित किसान	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	ऋण राशि	कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	आवेदन की संख्या सब्सिडी की पहली किस्त जारी	पहली किस्त में जारी सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपए में)	आवेदन की संख्या सब्सिडी की दूसरी किस्त जारी	दूसरी किस्त में जारी सब्सिडी राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई कुल सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	83	211	294	837	1673	252.22	104.12	118.65	168	35.73	24	5.27	41.00
अरुणाचल प्रदेश	13	33	46	137	273	30.73	11.38	12.99	30	4.05	3	0.37	4.42
असम	5	35	40	3508	7015	26.26	10.01	11.09	20	3.41	3	0.45	3.85
बिहार	1	1	2	26	52	0.70	0.19	0.28	2	0.14	0	0.00	0.14
छत्तीसगढ	6	21	27	824	1647	16.50	7.01	6.19	11	1.22	4	0.37	1.60
गुजरात	1	5	6	21	42	2.99	0.96	1.40	1	0.25	0	0.00	0.25
हरियाणा	4	17	21	105	210	14.68	6.13	6.29	6	1.09	0	0.00	1.09
हिमाचल प्रदेश	3	14	17	76	152	9.14	3.91	3.90	6	1.10	1	0.15	1.25
जम्मू और कश्मीर	3	24	27	97	194	12.23	5.72	4.80	8	1.08	2	0.47	1.54
झारखंड	0	1	1	25	50	1.16	0.48	0.50	0	0.00	0	0.00	0.00
कर्नाटक	279	857	1136	6917	13833	802.51	272.44	379.82	488	91.41	117	21.90	113.31
केरल	3	12	15	1988	3976	8.55	3.44	3.88	12	1.59	0	0.00	1.59
मध्य प्रदेश	87	397	484	7735	15470	358.14	135.63	165.10	286	52.78	60	9.03	61.81
महाराष्ट्र	80	286	366	5527	11054	216.80	79.78	101.90	176	27.66	29	4.49	32.16

राज्य	महिला	पुरुष	कुल अनुमोदित आवेदन	सृजित रोजगार	कुल प्रभावित किसान	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	ऋण राशि	कुल अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	आवेदन की संख्या सब्सिडी की पहली किस्त जारी	पहली किस्त में जारी सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपए में)	आवेदन की संख्या सब्सिडी की दूसरी किस्त जारी	दूसरी किस्त में जारी सब्सिडी राशि (करोड़ रुपए में)	जारी की गई कुल सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपए में)
मणिपुर	0	6	6	6	12	2.20	1.00	0.60	0	0.00	0	0.00	0.00
मिजोरम	18	61	79	762	1523	50.82	24.41	18.84	59	7.75	15	2.24	9.99
नागालैंड	19	59	78	672	1343	35.76	3.03	17.25	60	6.63	0	0.00	6.63
ओडिशा	3	0	3	61	121	3.00	1.12	1.33	1	0.19	0	0.00	0.19
पुदुचेरी	0	1	1	0	0	0.64	0.27	0.30	0	0.00	0	0.00	0.00
पंजाब	4	17	21	107	213	16.16	6.49	5.88	13	2.06	2	0.33	2.39
राजस्थान	29	143	172	786	1572	90.16	33.71	38.93	88	12.52	8	0.85	13.37
सिक्किम	2	7	9	17	34	5.59	2.42	2.42	4	0.45	1	0.12	0.58
तमिलनाडु	46	135	181	1721	3441	117.91	45.97	51.68	81	13.64	12	1.98	15.62
तेलंगाना	111	381	492	1538	3076	437.20	180.65	211.18	252	56.79	29	6.66	63.45
त्रिपुरा	6	20	26	112	224	19.64	7.73	7.29	15	2.37	2	0.30	2.67
उत्तर प्रदेश	43	177	220	3459	6918	111.22	42.33	47.29	87	10.23	9	1.49	11.72
उत्तराखंड	9	61	70	3163	6325	30.73	12.21	12.95	31	4.40	7	1.08	5.47
पश्चिम बंगाल	1	12	13	852	1704	7.08	2.80	3.06	5	0.85	0	0.00	0.85
कुल योग	**859**	**2994**	**3853**	**41074**	**82147**	**2680.75**	**1005.34**	**1235.79**	**1910**	**339.40**	**328**	**57.54**	**396.94**

अनुबंध-II

क्र.सं.	जिले का नाम	महिला	पुरूष	अनुमोदित परियोजनाएँ	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	ऋण राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	परियोजनाएं, जिनकी पहली किस्त जारी की गई	पहली किस्त की जारी राशि (करोड़ रुपए में)	परियोजनाएं, जिनकी दूसरी किस्त जारी की गई	दूसरी किस्त की सब्सिडी जारी (करोड़ रुपए में)	कुल सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
1	आगरा	1	1	2	1.46	0.50	0.65	2	0.33		0	0.33
2	अलीगढ	0	2	2	2.00	0.79	0.93	2	0.46		0	0.46
3	अंबेडकरनगर	0	3	3	2.27	0.90	0.80	2	0.35		0	0.35
4	अमेठी	0	1	1	1.00	0.25	0.34	1	0.17		0	0.17
5	अमरोहा	0	2	2	0.40	0.16	0.15		0.00		0	0.00
6	औरैया	0	1	1	1.00	0.40	0.50		0.00		0	0.00
7	अयोध्या	0	3	3	1.76	0.60	0.79	2	0.34		0	0.34
8	आजमगढ़	1	4	5	2.80	1.01	1.07	1	0.05		0	0.05
9	बागपत	0	3	3	1.00	0.36	0.40	2	0.17		0	0.17
10	बलरामपुर	1		1	0.68	0.31	0.30		0.00		0	0.00
11	बाँदा	4	4	8	4.60	1.38	2.23	3	0.37	1	0.093	0.46
12	बाराबंकी	0	3	3	1.80	0.72	0.90	2	0.40		0	0.40
13	बरेली	0	6	6	3.88	1.40	1.57	4	0.41		0	0.41
14	भदोही	0	1	1	1.15	0.54	0.50	1	0.25		0	0.25
15	बिजनौर	0	1	1	0.70	0.28	0.30		0.00		0	0.00
16	बदायूं	0	4	4	2.09	1.03	0.77	2	0.29		0	0.29
17	बुलन्दशहर	1	4	5	3.87	1.28	1.74	3	0.65	1	0.15	0.80
18	चंदौली	0	1	1	0.22	0.10	0.10		0.00		0	0.00
19	देवरिया	3	10	13	3.84	1.62	1.50	4	0.17		0	0.17

20	एटा	1	1	2	0.88	0.35	0.43	1	0.07		0	0.07
21	इटावा	1	3	4	1.35	0.62	0.55	3	0.24		0	0.24
22	फर्रुखाबाद	1		1	0.20	0.08	0.08		0.00		0	0.00
23	फ़तेहपुर	0	5	5	2.60	1.01	1.17	2	0.18		0	0.18
24	फिरोजाबाद	0	2	2	1.90	0.69	0.68		0.00		0	0.00
25	गौतमबुद्धनगर	0	1	1	0.76	0.32	0.30	1	0.15		0	0.15
26	गाजियाबाद	0	4	4	2.40	0.91	1.08	2	0.37	2	0.37	0.74
27	गाजीपुर	1	6	7	2.40	0.96	1.13	3	0.19		0	0.19
28	गोरखपुर	2	12	14	6.96	2.86	2.90	6	0.91		0	0.91
29	हमीरपुर	1	5	6	2.51	0.96	1.15	1	0.05		0	0.05
30	हरदोई	1	1	2	3.00	1.10	0.64	1	0.25	1	0.25	0.50
31	जालौन	0	2	2	0.40	0.16	0.19	1	0.05		0	0.05
32	झांसी	0	1	1	0.50	0.10	0.25		0.00		0	0.00
33	कानपुर देहात	1	7	8	2.93	1.36	1.14	1	0.10		0	0.10
34	कानपुर नगर	0	3	3	1.45	0.53	0.64		0.00		0	0.00
35	कौशांबी	4	5	9	2.85	0.89	1.30	4	0.34		0	0.34
36	खेरी	0	1	1	1.00	0.39	0.49		0.00		0	0.00
37	कुशीनगर	6	7	13	4.23	1.81	1.76	5	0.29		0	0.29
38	लखनऊ	0	6	6	2.52	0.90	1.14	4	0.46	2	0.38	0.84
39	महोबा	0	1	1	0.45	0.20	0.14	1	0.07		0	0.07
40	महराजगंज	0	1	1	1.00	0.40	0.50	1	0.25		0	0.25
41	मैनपुरी	2	1	3	1.75	0.83	0.65		0.00		0	0.00
42	मथुरा	1		1	0.79	0.29	0.30		0.00		0	0.00
43	मऊ	0	1	1	0.23	0.10	0.07	1	0.03		0	0.03

44	मेरठ	0	7	7	3.43	0.90	1.43	2	0.21		0	0.21
45	मिर्जापुर	0	2	2	0.42	0.18	0.19		0.00		0	0.00
46	मुजफ्फरनगर	1	3	4	3.35	1.18	1.52	3	0.53	1	0.15	0.68
47	पीलीभीत	0	1	1	0.21	0.09	0.10		0.00		0	0.00
48	प्रतापगढ़	1		1	1.07	0.45	0.50		0.00		0	0.00
49	प्रयागराज	1	1	2	2.22	0.80	1.00		0.00		0	0.00
50	रायबरेली	2	2	4	0.85	0.36	0.39	1	0.05		0	0.05
51	रामपुर	0	1	1	0.83	0.42	0.30		0.00		0	0.00
52	सहारनपुर	0	2	2	0.70	0.25	0.32	1	0.07		0	0.07
53	संभल	0	2	2	2.00	0.80	0.94		0.00		0	0.00
54	शाहजहांपुर	0	2	2	1.71	0.64	0.77	1	0.15		0	0.15
55	श्रावस्ती	1		1	0.40	0.16	0.16	1	0.08		0	0.08
56	सिद्धार्थनगर	1	3	4	1.87	0.81	0.83	1	0.05		0	0.05
57	सीतापुर	0	2	2	0.60	0.08	0.18		0.00		0	0.00
58	सोनभद्र	1	1	2	0.63	0.26	0.30		0.00		0	0.00
59	सुल्तानपुर	0	8	8	3.20	0.88	1.49	2	0.25	1	0.10	0.35
60	उन्नाव	2	5	7	3.60	1.39	1.60	2	0.16		0.00	0.16
61	वाराणसी	0	5	5	2.58	1.23	1.07	4	0.29		0.00	0.29
	कुल योग	**43**	**177**	**220**	**111.22**	**42.33**	**47.29**	**87**	**10.23**	**9**	**1.49**	**11.72**

****